

# निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र० लखनऊ

पत्रांक : C-11 / बा०वि०परि० / लेखा / 2018-19

दिनांक : ०९ अप्रैल, 2018

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

शासनादेश संख्या-51/2017/2900/60-2-17-2/190/12 दिनांक 23 नवम्बर 2017 के क्रम में निदेशालय पत्र संख्या सी-742/बा०वि०परि०/लेखा/2017-18 दिनांक 27-11-2017 तथा निदेशालय के पत्र संख्या-743 बा०वि०परि०/लेखा/2017-18 दिनांक 27-11-2017 द्वारा वित्तीय 2017-18 के लिए फ्लेक्सी फण्ड एवं प्रशासनिक व्यय के अग्रिम आहरण हेतु धनराशि आवंटित करते हुए यह निर्देश दिये गये थे कि अग्रिम आहरित धनराशि का समायोजन प्रत्येक दशा में 31-3-2018 तक उपलब्ध करा दिया जाय, किन्तु अभी तक आपके स्तर से फ्लेक्सी फण्ड एवं प्रशासनिक व्यय की अग्रिम आहरित धनराशि के सापेक्ष समायोजन/महालेखाकार को प्रेषित डी०सी० बिल की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में फ्लेक्सी फण्ड एवं प्रशासनिक व्यय हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय तथा महालेखाकार को प्रेषित समायोजन/डी०सी० बिल की छायाप्रति सहित सूचना निम्न प्रारूप पर ई-मेल के माध्यम से दिनांक 15-04-2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


## प्रारूप

जनपद का नाम :-

वित्तीय वर्ष-2017-18

क्र० सं०	फ्लेक्सी फण्ड एवं प्रशासनिक व्यय में आवंटित धनराशि	फ्लेक्सी फण्ड एवं प्रशासनिक व्यय में अग्रिम आहरित धनराशि	महालेखाकार को प्रेषित समायोजन/डी०सी० बिल की धनराशि
1	2	3	4

हस्ताक्षर  
नाम  
पदनाम

  
विश्वजीत कुमार दास)  
अपर निदेशक(वित्त)